न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 178 / 2004 / कोटा

उपेन्द्र सिंह आत्मज महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल सांगोद हाउस रेतवाली वार्ड कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

1– मोहिनी देवी पत्नि विमल चंद जैन महाजन निवासी सांगोद जिला कोटा
2– भंवरिया उर्फ भंवरलाल आत्मज लतीफ (फौत) के कायम मुकामः–
2/1. चमेलीबाई पत्नि भंवरिया उर्फ भंवरलाल
2/2. शब्बू पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरलाल
2/3. पिन्टू पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरलाल
2/4. बबलू पुत्र भंवरिया उर्फ भंवरलाल
2/5. सोना पुत्री भंवरिया उर्फ भंवरलाल
समस्त जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3– हनीफ आत्मज याकूब जाति मुसलमान निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री माधवराजसिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांकः 30–7–2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9–9–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंटस संख्या—1 वादी ने रेस्पोडेंट सं. 2, 3 व सलीम के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वादीनी द्वारा विक्रेता लतीफ से क्रय की है तथा विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर वादिनी का वाद निर्णय दिनांक 20—1—01 से डिक्री कर दिया।

3— परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं.2 भंवरिया ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 9—9—02 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई है।

4— सर्वप्रथम उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम सुनी गई। अपीलार्थी का बहस में मुख्य कथन है कि विवादित आराजी उसके पिता को आवंटित हुई थी जिसका पट्टा उनके पक्ष में निष्पादित किया गया है तब से अपीलार्थी विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है। वादीनी रेस्पोडेंट सं.1 ने तथ्यों को छिपाकर एवं बिना अपीलार्थी को पक्षकार बनाये वाद को डिक्री करवाया है। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं ना ही उन्हें निर्णयों की जानकारी प्राप्त हो पाई। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का क्षमा किया जावे। उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कहा कि अपीलार्थी का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं होने से उसे अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं बनाया। वह मात्र अतिक्रमी है। जबकि विवादित आराजी के मूल खातेदार लतीफ से विवादित आराजी रेस्पोडेंट सं.1 वादिनी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है। चूंकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नही था। ऐसी स्थिति में निर्णयों की जानकारी न होना संभव है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5

मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर हस्तगत् अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाता है।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने के बावजूद बिना पक्षकार कायम किये निर्णय व डिक्री पारित की है, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि ग्राम टोंक तहसील सांगोद में अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता श्री महेन्द्र सिंह आत्मज रतन सिंह राजपूत निवासी सांगौद को दिनांक 12.8.58 को खसरा नम्बर 323/25 की 3 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171 / 25—27 की 7 बीघा 18 बिस्वा कुल 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की जाकर पट्टा गैर खातेदारी का जारी किया गया है इसके अलावा ग्राम टोंक तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 13 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर भी स्वर्गीय महेन्द्र सिंह का कब्जा काश्त होने के कारण तहसीलदार सांगोद द्वारा मिसल नम्बर 77/599 मरजुआ 1.9.62 फैसला दिनांक 5—10—63 से महेन्द्र सिंह का कब्जा रेगुलाइज करते हुये पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये है। उक्त आधार पर उक्त वर्णित भूमियों को आजीवन महेन्द्र सिंह तथा वर्ष 1987 से उनकी मृत्यु हो जाने के बाद से उनका पुत्र अपीलान्ट प्रार्थी निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है और अपीलान्ट को आज दिन तक उक्त भूमियों से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। उप्त भूमियों पर स्वर्गीय महेन्द्र सिंह का कब्जा काश्त होने बाबत् मिसल नम्बर 1190/81 से सम्वत 2037 में काश्त करने तथा अपीलान्ट को मिसल नम्बर 571/86 से सम्बत् 2043 से 44 में काश्त करने बाबत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील सांगोद से नोटिस जारी किये गये हैं। इसके अलावा उक्त भूमियों पर महेन्द्र सिंह के कब्जे के बाबत जाँच कर कब्जा नियमित किये जाने के आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 3.4.81 को जारी किये गये है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त भूमियों पर स्वयं महेन्द्र सिंह तथा अपीलान्ट को खातेदार दर्ज नहीं किया है और उक्त भूमि अपीलान्ट व उसके पिता महेन्द्र सिंह के कब्जे काश्त में रहते हुये भी लतीफ आत्मज चांद खाँ मुसलमान निवासी सांगोद को आवंटित की होना बताकर उसके द्वारा दिनांक 3.6.85 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादिनी मोहिनी बाई को मौके पर कब्जा दिये बिना ही विक्रय कर दी गई है, जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट वादिनी मोहिनी बाई द्वारा विक्रेता लतीफ की मृत्यु के बाद केवल उसके पुत्रान भंवरिया, सलीम व हनीफ के विरुद्ध उप जिला कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दावा प्रस्तुत करके, उक्त वाद पत्र में विवादित भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त होने के तथ्य को छिपाकर अपीलान्ट को पक्षकार प्रतिवादी बनाये बिना दिनांक 20.1.01 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 के विरूद्ध वादिनी मोहिनी बाई के कब्जे काश्त

में किसी प्रकार की मदाखलत न करने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की गलत डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय एवम् डिक्री के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 भँवरिया द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में भी अपीलान्ट उपेन्द्र सिंह को पक्षकारान न बनाकर दिनांक 9.9.02 को उक्त अपील खारिज की गई है। इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादिनी विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वयं को क्रेता एवम् घोषित कृषक बताकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 30 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा पर जबरन कब्जा पाने का प्रयास कर रही है। उक्त सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद में अपने कब्जे काश्त की भूमि पर स्वयं को खातेदार घोषित कराने के आशय का दावा रेस्पोडेन्ट मोहिनी एवम् राज्य सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त वाद पत्र के जवाब में रेस्पोडेन्ट मोहिनी बाई द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवम् डिक्री का सहारा लेकर अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी पर खातेदार कृषक होना क्लेम किया जा रहा है। उनका कथन है कि विक्रय पत्र फर्जी एवं छलकपट द्वारा विक्रेता लतीफ की बीमारी की हालत में करवाया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादिनी मोहिनी बाई को मौके पर किसी भी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। इसी कारण लतीफ खां की मृत्यु के बाद उसके लडकों द्वारा वादग्रस्त भूमि का फौती इंतकाल दर्ज करा लेने के कारण भंवरियां, सलीम, हनीफ के विरूद्ध वाद पेश किया गया। उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में आज तक वादिनी को कब्जा नहीं संभलाया गया है। केवल मात्र वादिनी की खाते में विवादित आराजी निर्णय व डिक्री की पालना में दर्ज होने से अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाहीं कर कब्जा लेना चाहती है। विवादित आराजी अपीलार्थी के पिता को आवंटित हुई है तथा कब्जे के आधार पर नियमित भी की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार था किंतु वादिनी ने अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये डिक्री प्राप्त की है। वादिनी को विवादित आराजी पर अपीलार्थी के कब्जेकाश्त की जानकारी थी। सहायक कलेक्टर सांगोद तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री से सम्बंधित वाद पत्र एवम् अपील में अपीलान्ट को विवादित भूमियों पर काबिज होते हुये भी पक्षकारान न बनाये जाने से दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवम् डिक्री अपीलान्ट के विरुद्ध प्रभावहीन शून्य तथा निरथर्क होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे।

6— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण

विवेचन व विश्लेषण कर निर्णय पारित करने में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है कि द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। विवादित आराजी वादिनी ने मूल खातेदार लतीफ से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है तथा राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं होने के कारण मूल खातेदार लतीफ के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया। विवादित आराजी से अपीलार्थी का कोई लेना देना नहीं है। नीचे के दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और जब तक आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो, अपील द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंटस संख्या—1 वादी ने रेस्पोडेंट सं. 2, 3 व सलीम के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तकनीयात कायम करते हुये वादिनी का वाद निर्णय दिनांक 20—1—01 से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट सं.2 भंवरिया द्वारा प्रस्तुत अपील, प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने निर्णय दिनांक 9—9—02 द्वारा निरस्त कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम टोंक तहसील सांगोद में अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता श्री महेन्द्र सिंह आत्मज रतन सिंह राजपूत निवासी सांगौद को दिनांक 12.8.58 को खसरा नम्बर 323/25 की 3 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 171/ 25—27 की 7 बीघा 18 बिस्वा कुल 11 बीधा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की जाकर पट्टा गैर खातेदारी तहसीलदार सांगोद द्वारा जारी किया जाना स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त ग्राम टोंक तहसील सांगोद के खसरा नम्बर 13 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर भी स्वर्गीय महेन्द्र सिंह का कब्जा काश्त मान कर तहसीलदार सांगोद द्वारा मिसल नम्बर 77/599 मरजुआ 1—9—62 फैसला दिनांक 5—10—63 से महेन्द्र सिंह का कब्जा रेगुलाइज करते हुये पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये है। विवादित आराजी के सम्बंध में अति0 जिला कलेक्टर (उपनिवेशन) कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 3—4—81 से नायब तहसील सांगोद को अपीलार्थी के पिता महेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिंह के प्रकरण में पुनः निर्णय हेतु निर्देशित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजों से

यह तथ्य तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में अपीलार्थी के पिता महेन्द्र सिंह द्वारा विविध कार्यवाहीं सक्षम न्यायालय में किया जाना प्रकट होता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया जाना आवश्यक है, जो विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में मजरिया तहसील सांगोद जिला कोटा द्वारा पट्टा गैर खातेदारी दिनांक 20–11–65 (अप्रामाणित फोटा प्रति) संलग्न है, जो लतीफ पुत्र चांद खां मुसलमान सांगोद के नाम से जारी किया गया है। जिसमें खसरा नंबर 13, 29 व 30 अंकित है तथा उक्त आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3–6–85 से लतीफ ने श्रीमती मोहनी देवी को बेचान की है एवं लतीफ की मृत्यु के बाद फौतगी नामांतरकरण दिनांक 30–1–85 जो उसके विधिक वारिसान भंवरलाल व सलीम के नाम तस्दीक हुआ है, संलग्न है। विवादित आराजी की खातेदारी लतीफ को मिलने व संबंधित जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संबंध में हमारे समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के संबंध में विचारण किया जाना आवश्यक है तथा विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेंट वादिनी सं.1 के हक में करने की अधिकारिता लतीफ को होना अथवा न होना भी साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाना है। प्रस्तुत वाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये उपरोक्त समस्त तथ्यों का विचारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारा विनम्र मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाकर अपीलार्थी को पक्षकार बनाकर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः हस्तगत् अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9–9–02 और विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सांगोद द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 20–1–2001 को निरस्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय– सहायक कलेक्टर सांगोद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को वाद में पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य, सबूत एवं गवाह प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
सदस्य